2025/497

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

प्रकरण जरिए तहसीलदार सिकराय ग्राम सिकराय ख0न0 522

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र बाबत राहिन मुक्ति धारा 43 रा0का0अ0 मु0नं0– 99 /2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/07/25	तहसीलदार सिकराय के पत्रांक भू0अ0/2025/1509 दिनांक 21.05.2025 द्वारा इस आशय का प्रकरण पेश किया गया कि ग्राम सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 0.13 है0 जिसके खातेदार बालस्वरूप पुत्र फैलीराम मीना निवासी सिकराय है। उक्त भूमि में व्यक्तिगत राहिन के नोट का इन्दाज है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत राहिन इन्द्राज की अधिकतम सीमा 5 वर्ष है। तथा उक्त भूमि पिछले 50–60 सालो से राहिन चली आ रही है तथा उक्त भूमि पर मूल खातेदार बालस्वरूप पुत्र फैलीराम जाति मीना निवासी सिकराय काबिज काश्त है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा राहिन इन्द्राज हटाने हेतु प्रकरण पेश किया है। उक्त प्रकरण मूल ही तहसीलदार सिकराय द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43(2) में उल्लेखित प्रावधानों मे व्यक्तिगत रहन दर्ज भूमियों की समयावधि 5 वर्ष है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43(4) में भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया किसी भूमि का भोगबंधक बंधक विलेख में वर्णित कालावधि या उसके निष्पादन की तारीख से तीस वर्ष समाप्त होने पर जो भी कालावधि न्यून हो बंधककर्ता द्वारा बिना किसी संदाय के पूर्णरूपेण उन्मोचित समझा जायेगा और बंधक ऋण तदनुसार निर्वापित समझा जायेगा और इसके बाद बंधकित भूमि का मोचन किया जायेगा तथा उसका कब्जा सब विल्लंगमों से मुक्त रूप में बंधककर्ता को परिदत्त किया जायेगा। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 43(4क) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के पश्चात किया गया और राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश 1975 के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान किसी भूमि का कोई भोगबंधक, बंधक विलेख में वर्णित कालावधि या उसके निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष के जो भी कालावधि पहले पूरी हो, समाप्त होने पर बंधककर्ता द्वारा बिना किसी संदाय के पूर्णरूपेण उन्मोचित समझा जायेगा और बंधक ऋण तदनुसार निर्वापित समझा जायेगा और इसके बाद बंधकित भूमि का मोचन किया जायेगा तथा उसका कब्जा सब विल्लंगमों से मुक्त रूप में बंधककर्ता को परिदत्त किया जायेगा। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश प्रकरण उक्त सभी प्रावधानों के अनुरूप है इसलिए प्रकरण में वर्णित भूमि से राहिन इन्द्राज को हटाया जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

अतः ग्राम सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 0.13 है0 के संपूर्ण रकबे से व्यक्तिगत राहिन इन्द्राज को हटाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार उक्त भूमि को **राहिनमुक्त दर्ज कर राजस्व** रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा